UPET010066572021

न्यायालय :: अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, एटा।
उपस्थित :: 'निशान्त शैव्य' :: ''एच0जे0एस0''
J.O.code U.P. 2743
सत्र वाद संख्या–1054/2021

उ0प्र0 राज्य

——अभियोजन

–प्रति–

1– ब्रिजेश उर्फ पतरा पुत्र रामजीलाल
2– रिंकू पुत्र सत्यप्रकाश
निवासीगण निवासी ग्राम बरिगंवा थाना पिलुआ जिला एटा।

——अभियुक्तगण

अपराध संख्या–254/2019
आरोप पत्र की धारा– 308,323,504,506 भा0दं0सं0
विरचित आरोप की धारा–308,323 सपठित धारा 34,504,506 भा0दं0सं0
थाना–पिलुआ, जिला एटा।

अभियोजन पक्ष की ओर से:–
श्री श्याम गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

अभियुक्तगण पक्ष की ओर से:–
श्री राधेश्याम शर्मा, अधिवक्ता बचाव पक्ष

–निर्णय–

1. सत्र वाद संख्या–1054 सन् 2021 राज्य बनाम् बृजेश उर्फ पतरा आदि, अ0सं0–254/2019, अन्तर्गत धारा–308,323 सपठित धारा 34,504,506 भा0दं0सं0, थाना पिलुआ, जिला एटा में अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2. दिनांक 24.10.2019 को मोहित कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र उपाध्याय थाना पिलुआ जिला एटा ने स्थानीय थाना पिलुआ जनपद एटा में लिखित तहरीर दी, जो निम्नवत है :–

'' प्रार्थी के पिता सुभाष चन्द्र पुत्र बृजनन्दन दिनाक 24.10.2019 समय 7 बजे सत्यवीर डेयरी पर दूध देने गये थे, कि दूध देकर वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में सुशील पुत्र रामजी लाल व बृजेश पुत्र रामजी लाल व रिन्कू मिले और गाली देते हुए कहने लगे कि तू बहुत मुकदमे बाजी करता है। इस पर मेरे पिता जी ने गाली देने से मना किया तो लोगों ने मेरे पिता को बेल्ट व लाठी से मारा पीटा, जिससे मेरे पिता जी को शरीर में बहुत चोटें आयी है तथा सिर में भी आयी है। सूचना पर मैं तथा मेरा साला मनोज कुमार पुत्र इन्दपाल निवासी अलीपुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज पहुँच

Digitally signed by NISHANT SHAIVA
Date: 2026.07.13 16:19:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिन्होंने ललकारा तो सभी जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इसके बाद 100 नम्बर को सूचना पर पुलिस आयी और फिर हम लोग अपने पिताजी को जिला अस्पताल एटा ले गये, दो दिन बाद मेरे पिता जी को आगरा रेफर कर दिया गया। जहाँ इलाज सही न होने के कारण स्पर्श मल्होत्रा हास्पीटल आगरा में भर्ती करा दिया है। जहाँ पर इलाज चल रहा है। आज समय निकाल कर थाने आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3. वादी की लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पिलुआ, जिला एटा, अपराध संख्या–254/2019 में बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू के विरूद्ध अंतर्गत धारा–308,323,504,506 भा0दं0सं0 का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4. इस मामले की विवेचना सम्बन्धित ओमकार सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा वादी मुकद्मा एवं साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा–नजरी तैयार किया गया। समस्त विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू के विरूद्व धारा– 308,323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, एटा द्वारा अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू के विरूद्ध पंजीकृत अपराध संख्या–254/2019, धारा–308,323,504,506 भा0दं0सं0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु आदेश दिनांकित 126.10.2021 के द्वारा सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जहॉ से यह प्रकरण अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू के विरूद्व दिनांक 16.12.2021 को धारा–308,323 सपठित धारा 34,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे उन्होंने इनकार किया तथा विचारण की याचना की मॉग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में 07 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है :–

1.	सुभाष चन्द्र	पी0डब्लू0–01 चक्षुदर्शी साक्षी/चुटैल
2.	मोहित कुमार	पी0डब्लू0–02 चक्षुदर्शी साक्षी/वादी
3.	देवेन्द्र कुमार	पी0डब्लू0–03 हैड कॉ0
4.	डा0 अनन्त व्यास	पी0डब्लू0–04 चिकित्सक
5.	डा0 अरविन्द कुमार अग्रवाल	पी0डब्लू0–05 चिकित्सक
6.	ओमकार सिंह	पी0डब्लू0–06 (एस0आई0/विवेचक)
7.	डा0 देवेन्द्र गुप्ता	पी0डब्लू0–07 (चिकित्सक)

8. अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत कर उन्हें प्रमाणित कर साबित कराया गयाः—

1.	हस्तलिखित तहरीर	प्रदर्श क—01	पी0डब्लू0—02 द्वारा साबित किया गया।
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क—02	पी0डब्लू0—03 द्वारा साबित किया गया।
3.	नकल रपट जी0डी0	प्रदर्श क—03	पी0डब्लू0—03 द्वारा साबित किया गया।
4.	डाक्टरी मुआयना	प्रदर्श क—04	पी0डब्लू0—04 द्वारा साबित किया गया।
5.	चिकित्सीय प्रपत्र दि0—08.11.2019	प्रदर्श क—05	पी0डब्लू0—05 द्वारा साबित किया गया।
6.	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क—06	पी0डब्लू0—06 द्वारा साबित किया गया।
7.	गिरफ्तारी मीमो अभियुक्त बृजेश उर्फ पतरा	प्रदर्श क—07	पी0डब्लू0—06 द्वारा साबित किया गया।
8.	आरोप पत्र सं0—66 / 2020	प्रदर्श क—08	पी0डब्लू0—06 द्वारा साबित किया गया।
9.	गिरफ्तारी मीमो अभियुक्त रिंकू	प्रदर्श क—09	पी0डब्लू0—06 द्वारा साबित किया गया।
10.	आरोप पत्र सं0—66ए / 2020	प्रदर्शक—10ए	पी0डब्लू0—06 द्वारा साबित किया गया।
11.	चुटैल चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दि0 28.10.2019	प्रदर्शक—10	पी0डब्लू0—07 द्वारा साबित किया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है—

9.(1) अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0डब्लू0—01 सुभाष चन्द्र (चुटैल)** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक 24.10.2019 को मैं सुबह करीब 7 बजे सत्यवीर की डेरी पर दूध देने गया था और जब दूध देकर घर लौट रहा था तो रास्ते में सुशील पुत्र रामजीलाल, बृजेश पुत्र रामजीलाल व रिंकू पुत्र सत्यप्रकाश, सुनील पुत्र सत्यप्रकाश, विमल पुत्र सत्यप्रकाश व रोहित पुत्र संजय शर्मा जो कि मेरे ही गांव में रहत थे, मिले और इन्होंने मुझे देखते ही गाली गलौज शुरू कर दिया और कहा कि तू बहुत मुकदमे बाजी करता है, जब मैंने गाली देने से मना किया तो बृजेश व रोहित जिनके हाथ में चाकू थे तथा अन्य लोगों के हाथ में लाठी डण्डे थें, उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। जिससे मेरी शरीर

में व सिर पर चोटें आयी। मेरे घर पर किसी ने सूचना दे दी और मेरा लड़का मोहित व उसका साला मनोज वहॉ आ गये और उन्होंने बचाया। उनके ललकारने पर उक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। पुलिस की 100 नं0 गाड़ी गांव में आ गयी थी और मुझे मेरे परिवार वाले जिला अस्पताल एटा लाये थे, जहॉ से मुझे आगरा रैफर कर दिया गया और वहॉ मेरा सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में ईलाज चला, जहॉ मैं 15–20 दिन भर्ती रहा। इस घटना की रिपोर्ट मेरे लड़के मोहित ने लिखायी थी और इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

9.(2) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–02 मोहित कुमार (वादी मुकदमा)** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि '' घटना दिनांक 24.10. 2019 को सुबह 7 बजे सत्यवीर की डेरी पर मेरे पिता दूध देकर घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में सुशील, बृजेश, रिंकू, सुनील, विमल, रोहित मिले और मेरे पिताजी सुभाष को गाली गलौज करने लगे, मेरे पिताजी ने गाली देने से मना किया तो तो उक्त सभी लोगों ने मेरे पिताजी को बैल्ट व लाठी से मारपीट किया, जिससे उनके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयी। जिससे खून बह रहा था। सूचना पर मै व मेरा साला मनोज कुमार पहुॅच गये, उक्त सभी मुल्जिमानों को ललकारा तो सभी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मौके पर पुलिस आ गयी और मेरे पिताजी, मैं और मनोज को थाने लेकर गयी और फिर मेरे पिताजी को मजरूबी चिटठी थाने से बनाकर दी। तब हम अपने पिताजी को साथ लेकर जिला अस्पताल एटा गये, तब पिताजी का डाक्टरी मुआयना जिला अस्पताल में हुआ। डाक्टर ने पिताजी ही हालत गंभीर देखते हुए एस0एन0 मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। जहॉ ईलाज सही न पाने के कारण स्पर्श मल्होत्रा हास्पीटल में ईलाज हेतु भर्ती करा दिया। फिर ईलाज सुचारू रूप से जारी कर दिया पिताजी की हालत बहुत बेहोशी की थी, कागजसं0–5अ तहरीर मेरे हस्तलेख में पत्रावली पर संलग्न है। जो साक्षी ने देखकर बताया तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उक्त घटना से सम्बन्धित विवेचक ने मेरा बयान लिया। मेरे पिताजी के मारपीट में आयी चोटों के मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है।

9.(3) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–03 एस0सी0 1169 देवेन्द्र कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि '' दिनांक 29–10–2019 को मेरी री ड्यूटी थाना पिलुआ जनपद एटा में बतौर सी०सी० रात्रि कार्यलेख पर थी। मेरी ड्यूटी के दौरान श्री मोहित कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र द्वारा दाखिल तहरीरी सूचना पर मुकद्दमा अपराध संख्या 254/2019 धारा 147,323,504,506 भा०द०स० बनाम सुशील पुत्र रामजीलाल, ब्रजेश पुत्र रामजीलाल, रिंकू पुत्र सत्यप्रकाश, विमल पुत्र सत्यप्रकाश, रोहित पुत्र संजय शर्मा निवासीगण ग्राम बरिगवां थाना पिलुआ

जनपद एटा के विरूद्ध पंजीकृत किया। जो पत्रावली पर कागज संख्या 4 अ/1 लगायत 2 है। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के उप०नि० श्री ओमकार सिंह के सुपुर्द की गयी थी। मुकदमे का खुलासा रपट नं० 67 दिनांक 29–10–2019 को समय 21.21 बजे कंप्यूटर पर पंजीकृत किया गया था। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मुकद्दमे के एफ०आई०आर० की प्रति वादी मुकद्दमा को देकर सादर रूकसत किया गया था। नकल चिक, नकल रपट वास्ते आवश्यक कार्यवाही विवेचक को दी गयी थी। विवेचक में मेरा बयान लिया था।''

9.(4) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–04 डा0 अनन्त व्यास** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 24.10.2019 को मैं जिला चिकित्सालय एटा में बतौर परामर्शदाता बाल रोग विषेशज्ञ तैनात था। उक्त दिनांक को मेरी ड्यूटी अपातकालीन सेवा में थी उक्त दिनांक को ही मेरे पास मोहित कुमार घायल अपने पिता सुभाष चन्द्र उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र ब्रजनन्दन निवासी बरिगवों थाना पिलुआ जिला एटा को लेकर आया था। मैंने घायल का डाक्टरी मुआयना तथा पहचान चिह्न सीधा व उल्टा दोनों अँगूठों के चिह्न अंकित किये। घायल के शरीर पर कुल नौ चोटें थी जिनमें पहली चोट सिर के पीछे एक फटा हुआ घाव जिसकी मांप 1.5 सी०एम० x 0.5 सी०एम० थी दूसरी चोट नीलगू निशान सूजन सहित थी जो सीधी तरफ एब्डोमिन पर 7 सी०एम०x 4 सी०एम० थी तीसरी चोट नीलगू निशाल खुरचट व सूजन सहित सीधे घुटने पर सामने ऊपर की तरफ 3 सी०एम०x 3सी०एम० थी चौथी चोट चोट चेहरे पर सीधी आँख के नीचे थी पॉचवी चोट नाक के सामने की ओर खुरचट थी जिसकी मॉप 1.5 सी०एम० x 1.5 सी०एम० थी छअवीं चोट सीधे कान के ऊपर खुरचट 2 सी०एम० x 1 सी०एम० थी सातवीं चोट नीलगू निशान खुरचट व सूजन सहित सीने पर बाई ओर सामने की ओर 7 सी०एम० x7 सी०एम० थी आठवी चोट सीने के पीछे की ओर दायी ओर खुरचट 3 सी०एम० • उसी०एम० थी तथा नवीं चोट पेट के पीछे की तरफ बीच में खुरचट 5 सी०एम० x 5 सी०एम० थी। चोट संख्या 1,7व8 एक्स रे की सलाह देते हुए निरीक्षण में रखी गयी। यह डाक्टरी मुआयना मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में 11:30 बजे प्रारम्भ कर 11:36 मिनट तक किया जो पत्रावली पर कागज संख्या 8अ है इस पर प्रदर्श क– 4 डाला गया। डाक्टरी मुआयने के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

9.(5) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–05 डा0 अरविन्द कुमार अग्रवाल** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 08.11.2019 को मैं सिनर्जी प्लस हास्पीटल आगरा में बतौर न्यूरो सर्जन तैनात था। उक्त दिनांक को मरीज सुभाष चन्द्र के मस्तिक में स्थित खून के थक्के का आपरेशन मैंने किया था जिसमें मरीज सुभाष चन्द्र के मस्तिष्क में बायी तरफ काफी बडा खून का

थक्का किसी चोट लगने के कारण मौजूद होना सम्भव था। जिसके कारण मरीज गफलत एवं भ्रमित स्थिति में होश में था। उक्त थक्के से मरीज के जीवन को खतरा था। मैंने उस थक्के को आपरेशन करके निकाल दिया था। मरीज के मस्तिष्क में मौजूद थक्का करीब दो से तीन हफते पुराना था। पत्रावली पर कागज संख्या 9अ/5 मेरे द्वारा तैयार मरीज के आपरेशन व स्थिति तथा दवाईयों से सम्बन्धित है इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क 5 डाला गया।''

9.(6) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–06 एस0आई0 ओमकार (विवेचक)** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि '' दिनाकं 30.10.2019 को मैं थाना पिलुआ पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उक्त दिनांक को उक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को ही मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक सी०सी० देवेन्द्र कुमार का लेकर किता सी०डी० किया था। दिनांक 08.11.2019 को बयान वादी मोहित कुमार व गवाह मनोज कुमार का लेकर किता सी०डी० किया तथा वादी की निशादेही पर निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजरी अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर किता सी०डी० किया जो पत्रावली पर 7अ है इस पर प्रदर्श क 6 डाला गया। दिनांक 15.11.2019 को अभियुक्तगण की तलाश की दस्तयाव नहीं हुए। दिनांक 20.11.2019 को घायल सुभाष चन्द्र का बयान लेकर किता सी०डी० किया। दिनांक 30.11.2019 व 14.12.2019 को अभियुक्तगण की तलाश दस्तयाव नहीं हो सके। दिनांक 23.12.2019 को घायल सुभाष चन्द्र के चिकित्सीय प्रपत्र प्राप्त हुए जिनका अवलोकन कर किता सी०डी० किया तथा उक्त दिनांक को घायल सुभाष चन्द्र का मजीद बयान तथा डॉ० अनन्त व्यास व डॉ० अरविन्द कुमार के बयान लेकर किता सी०डी० किये। उक्त दिनांक को ही डॉक्टरों के बयान व चिकित्सीय प्रपत्रों के आधार पर धारा 308 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गई। दिनांक 28.12.2019 व 31.12.2019 को अभियुक्तगण को तलाश किया गया नहीं मिले। दिनांक 03.01.2020 को घायल सुभाष के घर पर पहुँचा जिन्होने मुझे डिस्चार्ज स्लिप दी जिसका अवलोकन कर किता सी०डी० किया तथा अभियुक्तगण को तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 09.01.2020 को अभियुक्तगण को तलाशा नहीं मिले। दिनांक 20.01.2020 को अभियुक्त ब्रजेश उर्फ पतरा को नरहौली रोड थाना पिलुआ से गिरफतार कर उसका गिरफतारी मीमो तैयार किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 11 है इस पर प्रदर्श क 7 डाला गया तथा अभियुक्त के बयान लेकर किता सी०डी० किये। दिनांक 03.02.2020 को अभियुक्त ब्रजेश उर्फ पतरा का चौदह दिन के रिमाण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 04.02.2020, 10.02.2020, 24.02.2020, 02.03.2020 को अभियुक्तगण को तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 06.03.2020 को नकल रोपकार प्राप्त कर अवलोकन कर किता सी०डी० किया तथा अभियुक्तगण की तलाश की नहीं मिले।

दिनांक 02.04.2020 को अभियुक्तगण की तलाश की गई नहीं मिले। दिनांक 24.04.2020 को एस०एस०पी० महोदय द्वारा लक्ष्मण सिंह, विजय, रीना देवी, प्यारे खॉ, पंकज कुमार, जितेन्द्र, राजवीर, मोहर सिंह, राजपाल के शपथपत्र बावत् अभियुक्तगण सुनील, विमल, रोहित, सुशील घटना में सम्मलित न होने के सम्बन्ध में प्राप्त कर अवलोकन कर बयान लेकर किता सी०डी० किये। उक्त चारों के नाम पृथक किये गये। दिनांक 27.04.2020 को सुनील, सुशील, विमल व रोहित के बयान लेकर किता सी०डी० किये। उक्त दिनांक को ही समस्त संकलित मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ब्रजेश उर्फ पतरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323,504,506,308 भा०दं०सं० आरोपपत्र संख्या 66/2020 न्यायालय में प्रेषित किया तथा अभियुक्त रिंकू के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही दिनांक 06.05. 2020, 15.05.2020, 24.05.2020 को अभियुक्त रिंकू को तलाश किया नहीं मिला। दिनांक 05.06.2020 को अभियुक्त रिंकू को बरिगवां अड्डे थाना पिलुआ से समय 06:30 बजे गिरफतार किया तथा उसका गिरफतारी मीमो तैयार कर बयान लेकर किता सी०डी० किया। गिफतारी मीमो रिंकू पत्रावली पर कागज संख्या 18ब 4 है इस पर प्रदर्श क 9 डाला गया तथा दिनांक 06.06.2020 को समस्त संकलित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रिंकू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323,504,506,308 भा०दं०सं० आरोपपत्र संख्या 66ए/ 2020 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।''

9.(7) अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–07 डा0 देवेन्द्र गुप्ता (चिकित्सक)** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 28. 10.2019 को मैं ब्लॉसम्स सुपर स्पैसिलिटी हास्पीटल खन्दारी क्वाटर्स में बतौर जनरल सरजन अपनी सेवायें प्रदान कर रहा था। उसी दिन मैंने प्रातः 10:45 बजे चुटैल श्री सुभाष चन्द्र उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र स्व०श्री ब्रजनन्दन निवासी बरिगवां थाना पिलुआ जिला एटा, जिनको कि उनके पुत्र श्री मोहित एवं हिमांशु ने भर्ती किया था और बताया था कि दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 07:30 बजे मारपीट की घटना में चोटें पहुॅची हैं, जिनका कि प्रारम्भिक उपचार जिला अस्पताल एटा एवं एस०एन० मैडीकल कॉलेज आगरा में हुआ था, का मैंने चिकित्सीय परीक्षण किया था। मरीज की भर्ती की सूचना स्थानीय थाने को भेजी गयी, सिर का एम०आर०आई० कराने के लिए कहा गया, गंभीर स्थिति के बारे में परिजनों को बताया गया एवं न्यूरो सर्जन को बुलाने को कहा गया। मेरी राय में सिर की चोट पहुँची थी जो कि किसी ठोस वस्तु से आना सम्भव थी जिसमें मरीज की जॉचें कराने एवं सघन देखरेख की आवश्यकता थी। ये रिपोर्ट मैंने स्वयं अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में तैयार की थी जिसमें मरीज का बॉयें अँगूठा का निशान लिया गया जिसे मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। उक्त परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली

पर कागज संख्या 93/1 के रूप में मौजूद है जो मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर व मौहर में जिरह द्वारा विद्वान अधिवक्ता है पर प्रदर्श क–10 डाला गया।''

10. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत होना एवं अभियुक्तगण को पार्टीबंदी के कारण फंसाया जाने का कथन किया है तथा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध के सम्बन्ध में साक्ष्य देने का कथन किया है।

11. बचाव पक्ष की ओर से डीडब्लू–1 के रूप में **वेदप्रकाश पुत्र सियाराम निवासी ग्राम बरिगंवा थाना पिलुआ जिला एटा** को प्रस्तुत किया गया, जिसमें साक्षी डीडब्लू–1 ने कथन किया है कि घटना दिनांक 24.10.2019 की सुबह सात बजे की है। मैं डेयरी पर दूध लेने गया था। वहीं पर सुभाष डेयरी अपना दूध डालने जाते हैं। उधर से हम दोनों साथ साथ आये थे। हम अपने घर चले गये और सुभाष अपने घर चले गए। रास्ते में कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी से। किसी से मारपीट भी नहीं हुई। सुभाष ने पुरानी रंजिश के चलते रिंकू और बृजेश उर्फ पतरा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई थी।

बचाव पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एटा द्वारा दाण्डिक वाद सं0–14048/2010 राज्य बनाम रिंकू व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 04.05.2011 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

12. मैने, राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

13. न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अथवा नहीं।

<u>अभियोजन पक्ष का तर्क</u> :

14. अभियोजन का तर्क है कि दिनांक 24.10.2019 को समय करीब 07:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा मोहित कुमार के पिता सुभाषचन्द्र के साथ सुबह सत्यवीर की दूध की डेरी पर दूध देकर वापस आते समय सामान्य आशय से अग्रसारित होकर बेल्ट व लाठी डण्डों से मारपीट कर सिर व शरीर पर गंभीर चोट पहुॅचाई गयी, जिससे वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु भी हो सकती थी तथा लोकशांति भंग करने व जान से मारने की धमकी दी गयी। घटना के बारे में पता लगने पर वादी मुकदमा अपने साले मनोज कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुॅचा तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। घटना की सूचना फोन नं0–**100** पर पुलिस को दी गयी, जिससे पुलिस मौके पर पहुॅची। घायल सुभाषचन्द्र को जिला अस्पताल एटा में भर्ती

कराया गया। बाद में चुटैल को आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा में चुटैल का ईलाज चला।

15. घटना की तहरीर वादी द्वारा थाना पिलुआ में दिनांक 29.10.2019 को समय 21:21 मिनट पर दी गयी। घटना की इसी तहरीर के आधार पर दिनांक 29.10.2019 को घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी। घटना की विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा सत्र सुपुर्दगी के पश्चात न्यायालय अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये गये।

16. पीडब्लू–1 के रूप में वादी के पिता जो कि चुटैल है ने घटना की तहरीर को अपने पुत्र मोहित कुमार (वादी मुकदमा) द्वारा लिखाये जाने का कथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है तथा स्वयं का ईलाज जिला अस्पताल में होने व आगरा रेफर किये जाने के पश्चात सरकारी व प्राईवेट हास्पीटल में ईलाजरत होने का कथन किया है। इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण को नामित किया गया है तथा उनके द्वारा आरोपित अपराध कारित करने का कथन किया गया है।

17. पीडब्लू–2 वादी मुकदमा द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में थाने पर तहरीर कागज सं0–5अ अपने हस्तलेख में देने का कथन किया है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। इस साक्षी द्वारा भी साक्षी के पिता सुभाषचन्द्र के साथ अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस साक्षी द्वारा घटनास्थल पर पहुॅचकर अभियुक्तगण को ललकारने पर अभियुक्तगण के भाग जाने का भी कथन किया गया है।

18. अभियोजन का कथन है कि उपरोक्त दोनों तथ्य के साक्षियों द्वारा अपनी बचाव पक्ष की जिरह के दौरान भी ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो।

19. पीडब्लू–3 देवेन्द्र कुमार जो थाना पिलुआ पर रात्रि कार्यलेखक के पद पर था, द्वारा थानाध्यक्ष के निर्देश पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 को स्वयं द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप कर दर्ज करना बताते हुए उक्त प्रपत्रों को क्रमशः प्रदर्श क–2 व क–3 के रूप में साबित किया है।

20. पीडब्लू–4 डा0 अन्नत व्यास द्वारा दिनांक 24.10.2019 को चुटैल सुभाष चन्द्र का डाक्टरी मुआयना जिला चिकित्सालय एटा में किया जाना बताया तथा पत्रावली पर उपस्थित चुटैल के डाक्टरी मुआयने को स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में बताते हुए प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के शरीर पर कुल नौं चोटें आने तथा सिर के पीछे एक फाटा हुआ घाव (चोट सं0–1) पाया गया, इन चोटों में चोट सं0–1,7 व 8 के सम्बन्ध में चुटैल को आब्जरवेशन में रखने एवं एक्सरे की सलाह दिये जाने का कथन किया है। अन्य चोटें सामान्य प्रकृति की थी।

21. पीडब्लू–5 डाक्टर अरविन्द कुमार अग्रवाल (न्यूरोसर्जन) जो कि दिनांक 08.11.2019 को सीनर्जी प्लस हास्पीटल आगरा में कार्यरत थे, द्वारा उक्त दिनांक को मरीज/चुटैल सुभाष चन्द्र के मस्तिष्क में बायी तरफ काफी बडा खून का थक्का किसी चोट लगने के कारण मौजूद होने की संभाव्यता होने का कथन करते हुए चुटैल के मस्तिक में स्थित खून के थक्के का आपरेशन किया जाना बताया गया है। साक्षी द्वारा चुटैल का गफलत एवं भ्रमित स्थिति में होश में होने तथा उक्त थक्के से मरीज के जीवन को खतरा होने का कथन किया है। उक्त चिकित्सीय प्रपत्र जो पत्रावली पर कागज संख्या 9अ/5 पर साक्षी द्वारा आपरेशन तथा दवाईयों से सम्बन्धित है इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना तथा इसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित होने का कथन किया है।

22. पीडब्लू–6 विवेचक एस0आई0 ओमकार सिंह द्वारा दौरान विवेचना सम्बन्धित गवाहों के बयान लिये जाने तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर स्वयं द्वारा तैयार किये जाने का कथन करते हुए नक्शा नजरी को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त बृजेश उर्फ पतरा की गिरफतारी मीमो को प्रदर्श क–7, अभियुक्त बृजेश उर्फ पतरा के विरूद्व आरोप पत्रसं0–66/2020 न्यायालय में स्वयं द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने का कथन करते हुए प्रदर्श क–8, अभियुक्त रिंकू का गिरफ्तारी मीमो प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है, तथा अभियुक्त रिंकू के विरूद्व आरोप पत्रसं0–66ए/2020 न्यायालय में स्वयं द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने का कथन किया है। अभियोजन का यह भी कथन है कि यद्यपि इस साक्षी द्वारा आरोप पत्र सं0–66ए/2020 साबित किया गया है, परन्तु उस पर प्रदर्श अंकित करने का कथन भूलवश साक्षी के बयानों में अंकित नहीं है। इस प्रपत्र पर की साक्षी के बयानों में प्रदर्श क–10 के रूप में अंकित किया गया है, जिसे प्रदर्श क–10ए पढ़ा जाना न्यायोचित होगा।

23. पीडब्लू–7 डा0 देवेन्द्र गुप्ता द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 28.10.2019 को साक्षी ब्लॉसम्स सुपर स्पेसेलिटी हास्पीटल में जनरल सर्जन के रूप में कार्यरत था, उक्त दिनांक को चुटैल सुभाष चन्द्र को ईलाज के लिए उसके पुत्र मोहित एवं हिमांशु द्वारा ईलाज के लिए भर्ती कराया गया था। साक्षी ने यह भी कथन किय है कि उक्त दिनांक को चिकित्सीय परीक्षण में मरीज/चुटैल अर्धचेतना में अनर्गल बाते कर रहा था, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। साक्षी द्वारा चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट कागज सं0–9अ/1 स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने को साबित करते हुए प्रदर्श क–10 अंकित किया गया। साक्षी द्वारा चुटैल को एम0आर0आई व न्यूरोसर्जन से जांच कराने की राय दी गयी। इस साक्षी ने चुटैल को आयी चोटें उसकी राय में किसी ठोस वस्तु से आने की सम्भाव्यता को स्वीकार किया है तथा

मरीज/चुटैल की जांच कराने व सघन देखरेख की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है।

24. अभियोजन का यह भी कथन है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के बयानों में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादी द्वारा अभियुक्तगण को कथित रूप से झूठा फंसाने का कोई ठोस आधार हो। जिसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डीडब्लू–1 वेदप्रकाश पुत्र सियाराम ने अपने बचाव पक्ष की जिरह के दौरान स्वयं स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त बृजेश का बाबा व अभियुक्त रिंकू का सगा चाचा लगता है। इसी कारण अभियुक्तगण को बचाने के लिए इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 24.10.2019 की सुबह स्वयं को चुटैल के साथ होना बताते हुए आरोपित घटना से इन्कार किया है। अतः इस साक्षी के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

25. अभियोजन का यह भी कथन है कि वादी मोहित कुमार द्वारा घटना की तहरीर में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के नाम अंकित है, जिसे न्यायालय के समक्ष वादी व वादी के पिता चुटैल सुभाष चन्द्र ने साबित किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना के दौरान चुटैल सुभाषचन्द्र को गंभीर चोटें आना, जिससे चुटैल की मृत्यु हो सकती थी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा इसी आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्व किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

<u>बचाव पक्ष के तर्क</u>

26. बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया हैं। अभियुक्तगण की ओर से घटना को फर्जी, गलत तथा गांव की पार्टीबंदी की रंजिश के कारण इस मामले में झूठा फंसाया जाना बताया गया है।

27. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि घटना की तहरीर सोच समझकर पुरानी रंजिश के कारण घटना दिनांकित 24.10.2019 के पांच दिन बाद दिनांक 29.10.2019 को सम्बन्धित थाने में दी गयी। घटना की तहरीर प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि अभियोजन द्वारा वादी एवं चुटैल के अतिरिक्त घटना का कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अभियोजन द्वारा घटना का स्थान आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र होने का तथ्य चुटैल द्वारा पीडब्लू–1 के रूप में बचाव पक्ष की जिरह के पृष्ठ–6 पर स्वीकार किया गया है, इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा जिन स्वतंत्र साक्षी के शपथपत्र संकलित किये गये, जो कि पत्रावली पर कागज सं0–10ब/2 ल0 <u>10ब/6</u> व <u>12अ/12 ल0</u> <u>12अ/16</u> उपस्थित

है, जिनमें घटना की तहरीर/प्राथमिकी में अभियुक्त बृजेश व रिंकू के अतिरिक्त नामित अन्य अभियुक्तगण सुशील, सुनील, विमल व रोहित की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित न होने की पुष्टि की गयी है, इसी कारण उपरोक्त चार अभियुक्तगण को विवेचना से पृथक किया गया। उक्त तथ्य से भी अभियुक्तगण पर आरोपित घटना झूठी साबित होती है।

29. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि चुटैल सुभाषचन्द्र को जिला अस्पताल एटा से ईलाज के लिए आगरा रेफर किये जाने का कोई प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है। जिला अस्पताल एटा में चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डा0 अनन्त व्यास ने पीडब्लू–4 के रूप में दी गयी अपनी गवाही एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श क–4 में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया था, कि चुटैल की चोटें प्राणघातक थी। चुटैल का उक्त चिकित्सीय परीक्षण समय 11:30 ए0एम0 से 11:36 ए0एम0 के मध्य किया जाना अंकित है, जो कि इतने कम समय में चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना संभव नहीं है।

30. चुटैल का आगरा में किया गया चिकित्सीय परीक्षण बिना किसी चिकित्सक द्वारा प्रेषित किये हुए प्राईवेट अस्पतालो में कराया गया है। अतः इन चिकित्सक परीक्षणों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सीनर्जी प्लस हास्पीटल आगरा में चुटैल का आपरेशन करने वाले डाक्टर अरविन्द कुमार ने पीडब्लू–5 के रूप में अपने बचाव पक्ष की जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि इस साक्षी ने मरीज का सी0टी0 स्केन का कोई उल्लेख अपने चिकित्सयों प्रपत्रों में नहीं किया है। व्लॉसम्स सुपर स्पेसेलिटी हास्पीटल आगरा में चुटैल का ईलाज करने वाले डाक्टर देवेन्द्र गुप्ता ने पीडब्लू–7 के रूप में अपनी बचाव पक्ष की जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि मरीज के उक्त अस्पताल में उपचार किये जाने से पूर्व हुए जिला अस्पताल एटा व एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में हुए उपचार के प्रपत्र उन्हें नहीं दिखाये गये थे। यह तथ्य भी स्पष्ट करते है कि आगरा में हुए मरीज के ईलाज के प्रपत्रों पर विश्वास नहीं किय जा सकता है।

31. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियुक्त रिंकू व उसके भाईयों के विरूद्व एक प्राथमिकी चुटैल की ओर से दर्ज करायी गयी थी, जिसमें उपरोक्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया था तथा दोषमुक्त किये जाने के आदेश से चुटैल को काफी बुरा लगा था, इस तथ्य को चुटैल द्वारा अपनी बचाव पक्ष की जिरह के पृष्ठ –5 पर स्वीकार किया गया है। चुटैल सुभाष चन्द्र द्वारा अपनी बचाव पक्ष की जिरह के पृष्ठ–2 पर यह भी स्वीकार किया गया है कि ''घटना से 2–3 दिन पहले मेरा बृजेश वगैरा से कहासुनी हुई थी, उसमें पुलिस ने हम लोगों का 107/16 द0प्र0सं0 का चालान किया था, हम लोगों की उसमें जमानतें हुई थी।'' इसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण को वादी व चुटैल द्वारा प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।

32. उपरोक्त तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष का कथन है कि अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने में अभियोजन पूर्ण रूप से असफल रहा है तथा इसी आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

न्यायालय का अवलोकन

33. अभियुक्तगण पर दिनांक 24.10.2019 को सुबह 07:00 बजे वादी मुकदमा मोहित कुमार के पिता सुभाष चन्द्र के साथ लाठी डण्डों से मारपीट कर सामान्य व गंभीर चोटें पहुॅचाने, जिससे चुटैल की मृत्यु भी हो सकत थी, के साथ–साथ भददी भद्दी गालियॉ देकर लोकशांति भंग करने व चुटैल को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

34. घटना के बारे में सूचना मिलने पर वादी (चुटैल का पुत्र) घटनास्थल पर पहुॅचा तथा अभियुक्त को ललकारा, जिससे अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

35. चुटैल सुभाष चन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार प्रथम जिला अस्पताल एटा तथा उसके उपरान्त आगरा स्थित विभिन्न प्राईवेट अस्पतालों में कराया जाना बताया है। इस दौरान दिनांक 08.11.2019 को सीनर्जी प्लस अस्पताल आगरा में उपरोक्त चोटों के कारण चुटैल के मस्तिष्क में खून का थक्का जमा होने का आपरेशन भी किया गया।

36. यद्यपि घटना की प्राथमिकी घटना के पांच दिन बाद दिनांक 29.10.2019 को वादी की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दर्ज की गयी तथा घटना के समय दी गयी सूचना के आधार पर पुलिस का घटनास्थल पर पहुॅचने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपस्थित नहीं है। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई उक्त देरी का स्पष्टीकरण वादी द्वारा अपने बचाव पक्ष की जिरह के दौरान इस कथन के साथ किया गया है कि '' पिता जी की हालत में कुछ सुधार होने के बाद मैं तहरीर लिखकर थाना पिलुआ में अपने हस्तलेख में तहरीर दी।'' यह स्वाभाविक है कि जब वादी के पिता अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती हो तो घटना की तहरीर देने में देरी हो सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न विधिव्यवस्था उल्लेखनीय हैः–

In the case of P. Rajagopal vs State of Tamil Nadu, 2019 (V) SCC 403, Hon'ble Apex Court has made the following observation :

> "12. Normally, the Court may reject the case of the prosecution in case of inordinate delay in lodging the first information report because of the possibility of concoction of evidence by the prosecution. However, if the delay is satisfactorily explained, the Court will decide the matter on merits without giving much importance to such delay. The Court is duty bound to determine whether the explanation afforded is plausible enough given the facts and circumstances of the case. The delay may be condoned if the complainant appears to be reliable and without any motive for implicating the accused falsely."

37- उक्त विधिव्यवस्था के आधार पर न्यायालय का मत है कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में अभियोजन सफल रहा है। अतः इस आधार पर प्रस्तुत वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

38. चुटैल का प्रथम चिकित्सीय परीक्षण घटना के दिन बिना किसी अनुचित देरी के जिला अस्पताल एटा में किया गया, जहॉ पर चुटैल के शरीर पर सिर के पीछे बॉयी ओर आयी चोट सं0–1(फटा हुआ घाव) सहित 4–6 घंटे पुरानी कुल नौं चोटें पायी गयी, जिनमें से चोट सं0–1,7 व 8 निरीक्षण में रखने की सलाह दी गयीं। यें चोटें घ टना के समय की होना पाया गया। इस तथ्य की पुष्टि चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डा0 अनन्त व्यास द्वारा पीडब्लू–4 के रूप में की गयी।

39. पीडब्लू–7 के रूप में दिनांक 28.10.2019 ब्लॉसम्स सुपर स्पेसेलिटी हास्पीटल आगरा में चुटैल का परीक्षण करने वाले डा0 देवेन्द्र गुप्ता ने चुटैल को अर्धचेतना में अनर्गल बाते करना बताया गया है, सिर का एम0आर0आई0 कराने की सलाह दी गयी। मरीज की आपरेशन से पूर्व व आपरेशन के पश्चात की दो एम0आर0आई0 रिपोर्टस दिनांकित 26.10.2019 व दिनांकित 15.11.2019 कागज सं0–9अ/2 ल0 9अ/3 पर मौजूद है। जिनके विषय में बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन एम0आर0आई0 रिपोर्टस जो कि क्रमशः पंकज स्केनिंग एंड पैथोलॉजी आगरा व रेजोनेन्स डाईग्नोस्टिक सेन्टर एंड पेथोलॉजी आगरा पर तैयार की गयी, जिनके अनुसार मरीज/चुटैल के बॉयी कनपटी के पास ओडिमा पाया गया। दिनांक 08.11.2019 को डा0 अरविन्द कुमार अग्रवाल द्वारा सीनर्जी अस्पताल आगरा में चुटैल सुभाष चन्द्र का आपरेशन किया गया। डा0 अरविन्द कुमार अग्रवाल ने पीडब्लू–5 के रूप में मरीज के मस्तिष्क के बॉयी तरफ एक बड़ा खून का थक्का जमने का कथन किया है, जो मरीज के जीवन के लिए खतरा था। इस साक्षी ने मरीज के डिस्चार्ज कार्ड को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। चुटैल के उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण व ईलाज के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्यों पर संदेह करने का कोई कारण उपस्थित नहीं है।

40. उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि घटना में चुटैल को गंभीर चोटें आयी, जो कि चुटैल के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।

42. जहॉ तक घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता का विषय है, इस सम्बन्ध में चुटैल व वादी द्वारा स्पष्ट रूप से क्रमशः पीडब्लू–1 व 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों में अभियुक्तगण को नामजद किया गया है। धारा–313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये बयानों में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत मुकदमे को झूठा व फर्जी बताया गया है तथा गांव की पार्टीबंदी व रंजिश के कारण यह मुकदमा लिखाया जाना बताया गया है। इस संदर्भ में न्यायालय का मत है कि यदि वादी पक्ष की ओर से अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जा सकता है तो अभियुक्तगण द्वारा रंजिशन आरोपित घ

ाटना भी कारित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वादी एवं अभियुक्तगण के गांव के लक्ष्मन पुत्र नाथूराम, विजय पुत्र राजाराम, रीना देवी पत्नी विजय कुमार, प्यारे खान पुत्र इस्माइल खॉन, पंकज कुमार पुत्र रामरक्षपाल के शपथपत्र जो कि पत्रावली पर 10ब/2 ल0 10ब/6 पर प्रस्तुत है, में घटना के समय चुटैल सुभाष के साथ मारपीट की घटना के तथ्य का कथन किया गया है। इन शपथपत्रों पर बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इन शपथकर्ताओं द्वारा घटना के समय घटनास्थल पर स्वयं का उपस्थित होना बताया गया है तथा प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण सुनील व विमल का घटनास्थल पर न होने का कथन किया है, परन्तु अभियुक्त बृजेश व रिंकू के घटनास्थल पर उपस्थित न होने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। न्यायालय का मत है कि इन परिस्थितियों में अभियोजन अभियुक्तगण की घटना कारित करने में संलिप्तता को साबित करने में सफल रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अदालत यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य (2026 आई.एन.एस.सी. 403) में यह प्रतिपादित किया है कि एक घायल चश्मदीद उत्कृष्ट गवाही के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्वि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राय संदीप उर्फ दीपू बनाम स्टेट आफ दिल्ली (AIR 2012 SC 3157) में प्रतिपादित किया है कि :

" In our considered opinion, the 'sterling witness' should be of a very high quality and caliber whose version should, therefore, be unassailable. The Court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the Court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross- examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as, the sequence of it. Such a version should have co-relation with each and everyone of other supporting material such as the recoveries made, the weapons used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other similar such tests to be applied, it can be held that

such a witness can be called as a 'sterling witness' whose version can be accepted by the Court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the Court trying the offence to rely on the core version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged."

43. यहॉ यद्यपि बचाव पक्ष ने अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित ना कराये जाने का प्रश्न उठाया है, परन्तु घटना के चक्षुदर्शी साक्षी चुटैल के बयान, घटनास्थल पर अभियुक्तगण को वादी द्वारा देखा जाना तथा स्वतंत्र साक्षियों के शपथपत्र (जिन पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति व्यक्त नहीं की गई) के संकलित अवलोकन से न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण की आरोपित अपराध कारित करने में संलिप्तता रही है। उपरोक्त दोनों विधिव्यवस्थायें प्रस्तुत मामले में पूर्णतयाः लागू होती है।

44. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डीडब्लू–1 वेदप्रकाश पुत्र सियाराम ने घटना के समय घटनास्थल पर आरोपित घटना न होने का कथन किया है। परन्तु स्वतंत्र साक्षियों के शपथपत्रों में घटना के समय घटनास्थल पर चुटैल के साथ मारपीट किये जाने का कथन है। साक्षी डीडब्लू–1 ने स्वयं को अभियुक्त रिंकू का सगा चाचा तथा अभियुक्त बृजेश का गांव के नाते बाबा होना बताया है। यह साक्षी बचाव पक्ष का हितबद्व साक्षी प्रतीत होता है, इस साक्षी पर पूर्णतयाः विश्वास नहीं किया जा सकता।

45. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा एक राय मशिवरा होकर चुटैल के साथ लाठी डण्डों से मारपीट करके साधारण व गंभीर चोटें पहॅुचाने व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के तथ्य को साबित किया गया है। चुटैल को घटना में आयी चोटों में से सिर में आयी चोट प्राणघातक थी। अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर चुटैल के सिर पर वार किया गया, जिससे चुटैल की जान जा सकती थी। यह तथ्य चुटैल का ईलाज करने वाले चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित किया गया। इस विषय में धारा–308 भा0दं0सं0 का उल्लेख करना आवश्यक है जो कि निम्न प्रकार है–

जो कोई भी इस इरादे या जानकारी के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि यदि वह उस कार्य से किसी की मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या न करने के योग्य गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

46. प्रस्तुत मामले में धारा 308 भा0दं0सं0 के सभी अव्यवो की पुष्टि होती है। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया जाना अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है।

47. उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में एवं प्रकरण में किये गये विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू को प्रस्तुत वाद में आरोपित अपराधों अर्न्तगत धारा–308,323 सपठित धारा 34,504,506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सभी अभियुक्तगण दोषसिद्व होने योग्य है।

–आदेश–

सत्र वाद संख्या–1054/2021 राज्य बनाम बृजेश उर्फ पतरा आदि, मु0अ0सं0–254/2019, थाना पिलुआ़, जनपद एटा के प्रकरण में **अभियुक्तगण** बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू को धारा–308,323 सपठित धारा 34,504,506 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत **दोषसिद्व** किया जाता है।

अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू जमानत पर है तथा जेरे जमानत आज न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है जमानतदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्तगण का 309 द0प्र0सं0 का वारण्ट तैयार किया जाकर जिला कारागार भेजा जाता है।

पत्रावली अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली दिनांक 13.07.2026 को पेश हो। अभियुक्तगण दण्ड के प्रश्न हेतु सुनवाई हेतु जिला कारागार से दिनांक 13.07.2026 को तलब हो।

दिनांकः 10.07.2026

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, एटा।
J.O.code U.P. 2743

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घ ोषित किया गया।

दिनांकः 10.07.2026

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, एटा।
J.O.code U.P. 2743

13.07.2026

पत्रावली अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण तथा उनके विद्वान अधिवक्तागण को एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्तगण के संबंध उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है तथा मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। किसी आपराधिक मुकदमे में पूर्व में सजायाफता नहीं है। तदनुसार याचना की गयी है कि अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति एवं उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए उदारता पूर्वक नरम रूख अपनाते हुए न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता/चुटैल सुभाष चन्द्र के साथ मारपीट में सिर पर आई चोटे से सुभाष चन्द्र/चुटैल के शरीर में 40 प्रतिशत तक अक्षमता आ गयी है। इसके सम्बन्ध में वादी पक्ष की ओर से चुटैल सुभाष चन्द्र की अक्षमता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी। तदनुसार याचना की गयी है कि अभियुक्तगण को कारित अपराध के लिए अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उभय पक्षों के तर्कों के आधार पर तथा अभियुक्तगण की पारिवारिक, आर्थिक स्थिति, आयु व आपरधिक इतिहास तथा अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध से वादी को हुई शारीरिक क्षति व अक्षमता का संज्ञान लेते हुए न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध की गयी धाराओं के अन्तर्गत निम्न दण्ड दिया जाना न्यायोचित होगा।

धारा 308/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 04 वर्ष (चार वर्ष) के कठोर कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है तथा धारा–357 द0प्र0सं0 के आलोक में अधिरोपित धनराशि मु0–1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) में से मु0–90,000/–रूपये चुटैल सुभाष चन्द्र को घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के लिए प्रतिकर के रूप में देना न्यायसंगत होगा।

धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह (छः माह) के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 500/–रू0 (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,000/–रू0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,000/–रू0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्तगण बृजेश उर्फ पतरा एवं रिंकू, सत्र वाद सं0–1054 सन् 2021 मु0अ0सं0–254 सन 2019 के मामले में धारा 308/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 04 वर्ष (चार वर्ष) के कठोर कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा–357 द0प्र0सं0 के आलोक में अधिरोपित धनराशि मु0–1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) में से मु0–90,000/–रूपये चुटैल सुभाष चन्द्र को प्रतिकर के रूप में देय होंगे। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को 06 माह (छः माह) का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

उपरोक्त मामले में धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह (छः माह) के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 500/–रू0 (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

उपरोक्त मामले में धारा 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,000/–रू0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

उपरोक्त मामले में धारा 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं मुव0 1,000/–रू0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ–साथ चलेगी तथा अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाये।

निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 13.07.2026

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, एटा।
J.O.code U.P. 2743

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 13.07.2026

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, एटा।
J.O.code U.P. 2743